

ज्योत्सना शर्मा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अर्द्धशासक पत्र सं०-११/ २०२१
विश्राम कक्ष,
जिला न्यायाधीश, झांसी।
दिनांक :- १६.०८.२०२१

श्री आर्या,


आपके द्वारा निम्न विषयक पत्र दिनांकित ०२.०७.२०२१
अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किया गया-

“विषय:-सत्र परीक्षण सं०-११/२०१७ राज्य बनाम डालचन्द्र वर्मा
उर्फ डल्लू आदि, अन्तर्गत धारा-३०७ आई०पी०सी०,
मु०अ०सं०-७०१/२०१५ थाना-नवाबाद, झांसी में मूल
तहरीर के स्थान पर रंगीन छायाप्रति दाखिल होने के
संबंध में ”

उपरोक्त पत्र में आपके द्वारा प्रेषित आख्या स्पष्ट न होने के कारण,
आपको आदेश दिनांकित २९.०७.२०२१ के माध्यम से निर्देशित किया गया
कि क्या उक्त प्रलेख (तहरीर) विलुप्त है, जिसके अनुक्रम में आपके द्वारा
पत्र दिनांकित ०५.०८.२०२१ के माध्यम से पुनः आख्या प्रेषित की गई,
जिसमें भी प्रश्नगत प्रलेख की विलुप्ति के संदर्भ में स्पष्टतः अंकित
नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में आपको अवगत करना है कि आप एक न्यायिक
अधिकारी हैं एवं आपकी आख्या के आधार पर ही यह सुनिश्चित होता है
कि किसी भी प्रकरण में अग्रतर क्या कार्यवाही की जानी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी आख्या में यह
स्पष्टतः अंकित करें कि क्या प्रश्नगत मूल प्रलेख (तहरीर), पत्रावली से
विलुप्त है ?


16.8.21
(ज्योत्सना शर्मा)

श्री विमल प्रकाश आर्य
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ०टी०सी०
(१४वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),
झांसी।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश
झाँसी ।

विषय:- मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित- 02. 07. 2021 पर माननीय महोदया द्वारा पारित आदेश
दिनांकित- 29. 07. 2021 के संबंध में आख्या ।

महोदया

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि उक्त पत्रावली में कागज सं०- 26B दिनांकित- 25. 04. 2018/ 07. 05. 2018 वादी मुकदमा श्री हरप्रसाद दमैलिया द्वारा न्यायालय को इस आशय का प्रस्तुत किया कि जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ, तब न्यायालय की मूल पत्रावली पर प्रार्थी को अपनी स्वहस्त लिखित व खुद दस्तखत तहरीर नहीं मिली । उसकी जगह पर रंगीन छायाप्रति मिली जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें समय व दिनांक पर कटिंग की गयी है । प्रार्थी की मूल तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । यह जानबूझकर अनुचित लाभ के उद्देश्य से पत्रावली से गायब कर दी गयी है एवं तहरीर में समय पर कटिंग की गयी है । यह किसके स्तर पर और किसके द्वारा की गयी है, प्रार्थी अनभिज्ञ है और मूल तहरीर गायब होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर जाँच करने का निवेदन किया तथा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया ।

दिनांक- 07. 03. 2020 को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा कागज सं०- 50B/ 1 के माध्यम से तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचना प्रेषित की गयी थी, जिसमें यह कथन किया था कि पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि मूल तहरीर पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, उसके स्थान पर रंगीन छायाप्रति कागज सं०- 22D के रूप में कमिटल के समय प्रेषित की गयी है, जिसमें समय व तिथि में ओवर राईटिंग की गयी है ।

आपके आदेश दिनांकित- 29. 07. 2021 के संबंध में अवगत कराना है कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया उक्त प्रलेख (तहरीर) संलग्न होना प्रतीत नहीं होता है ।

आख्या सादर ससम्मान प्रेषित ।

भवदीय

दिनांक- 05. 08. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

श्री आर्या,

दिनांक 06.10.2021 से दिनांक 08.10.2021 तक आपके द्वारा प्रेषित विभिन्न पत्रों के प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त होने संबंधी विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	दिनांक व समय	विवरण
1	दि0-6.10.2021 12.30 अपराह्न	रीडर द्वारा अपने कर्तव्यों से बचने व न्यायिक कार्य प्रभावित करने के उद्देश्य से अर्जित अवकाश प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने व कु0 खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्य में व्यवधान करने के आशय से आकरिमक अवकाश प्रार्थनापत्र के संबंध में।
2	दि0-6.10.2021 3.00 अपराह्न	न्यायालय में पेशकार व लिपिक के अनुपस्थित रहने के संबंध में।
3	दि0-7.10.2021 12.45 अपराह्न	उपलब्ध तृतीय श्रेणी कर्मचारी के कार्य कर पाने व बयान लिख पाने में असमर्थ व अक्षम होने के कारण अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी को यथाशीघ्र नियुक्त करने संबंधी
4	दि0-7.10.2021 4.30 सायं	उपलब्ध कराये गये तृतीय श्रेण कर्मचारी के 11.45 से गैरहाजिर रहने व खुशनुमा के दिनांक 6.10.2021 के आकरिमक अवकाश प्रार्थनापत्र के निरस्त किये जाने के संबंध में।

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में आपको अवगत कराया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रातः न्यायालय में बैठने से पूर्व एवं सायं 4.30 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है एवं न्यायालय में कार्य करते समय, प्रशासनिक कार्य किया जाना संभव नहीं है।

प्रशासनिक अधिकारी की आख्यानुसार वर्तमान में इस न्यायिक अधिष्ठाण में लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग में लगभग 122 पद रिक्त चल रहे हैं तथा 13 कर्मचारी अर्जित अवकाश/अनुपस्थित हैं।

फिर भी आपके न्यायालय में कार्य प्रभावित न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी के मौखिक/लिखित निर्देशों के अनुक्रम में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अन्य न्यायालयों का कार्य भी प्रभावित न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कर्मचारियों में से एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की दिनांक 6.10.2021 को तत्काल एवं आज दिनांक 8.10.2021 को यथाशीघ्र व्यवस्था की गई है, परन्तु आपके द्वारा लगातार पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि आप अपने न्यायालय का युक्तिपूर्वक प्रबंधन करने में असफल हैं। इसके अतिरिक्त आपसे विभिन्न समयों पर वार्ता की अपेक्षा की गई परन्तु आपके द्वारा आज तक सम्पर्क नहीं किया गया। आपके उक्त कृत्यों से न्यायिक प्रशासन भी प्रभावित हो रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपलब्ध कर्मचारीगणों से, उनकी क्षमताओं को आंकलित करते हुए, आवश्यकतानुसार न्यायालय/कार्यालय के कार्यों का सुचारु प्रबंधन करना सुनिश्चित करें, जिससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

श्री विमल प्रकाश आर्य
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0
(14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),
झांसी।

(ज्योत्सना शर्मा)

8.10.21

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi

Chamber,
D.O. No. 8/17.11.2021/E.A.
Dated: November 17, 2021

Dear Mr. Arya,

1. On your application dated 12.11.2021 to transfer the Session Trial No. 11/2017 State Vs. Dalchandra @ Dally, I ordered for summoning the record of the above noted case from your court. The record of the case S.T. No. 11/2017 is before me.
2. Perusal of the same shows that original complaint imputing certain allegation against you, moved by Shri Chandrashekhar Shukla, Adv. dated 01.11.2021, which was sent in my administrative office on 01.11.2021 itself is indexed as paper no. 60B and made part of this file. The copy of the same, which was actually sent to your office for necessary action, has also been made part of record and indexed as paper no. 59B.
3. Obviously, the original application paper no. 60B was not meant to be included as part of this record. The order sheets in your handwriting indicate that you are well aware that this original complaint, which was not meant for your office, has been made part of record against all norms of administrative nature. It is surprising that you instead of sending back the paper no. 60B, the original complaint against you, probably received by your office by mistake or by oversight chose to pass an order taking into account the original complaint no. 60B. This also indicates that you are either very careless or with deliberate intention ready to act upon mistakes of staff in hurry rather than taking a corrective action immediately and helping in smooth administration of the judgeship.
4. Your this attitude since quite sometime is creating unnecessary troubles and affecting administration.
5. You may like to explain your conduct as per your discretion.
6. As the paper is meant to be kept in my administrative office hence, you are directed to return the original complaint of Shri Chandrashekhar Shukla, Adv. to administrative office immediately so that further appropriate action may taken.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

17. 11. 21

Sri Vimal Prakash Arya,
Addl. District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 08/ 17. 11. 2021/ E. A. के संबंध में ।


महोदया

सादर अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं० 11/ 2017 राज्य बनाम डालचन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० थाना नवाबाद मु०अ०सं० 70/ 15 की पत्रावली दिनांक 01. 11. 2021 को आदेश पत्र लिखे जाने के पश्चात व श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समय 15:55 बजे श्रीमान जी के कार्यालय में भिजवाने का मेरे द्वारा आदेश पारित किया गया था और आदेश के अनुपालन में पत्रावली श्रीमान जी के कार्यालय में अविलम्ब भिजवा दी गयी थी, इस तिथि पर केवल कागज सं० 59B ही सूचीपत्र में अंकित था । इस तिथि अर्थात् 01. 11. 2021 को पत्रावली श्रीमान जी के कार्यालय में प्राप्त किये जाने के समय तक कागज सं० 60B उक्त पत्रावली में नहीं था बल्कि श्रीमान जी द्वारा जब पत्रावली का अवलोकन कर लिया गया और मेरे न्यायालय में जब पत्रावली भिजवायी गयी तभी कागज सं० 60B उक्त पत्रावली में संलग्न होकर दिनांक 02. 11. 2021 को आया था । जब मूल कागज दिनांक 02. 11. 2021 को प्राप्त कर उसकी पावती सम्बन्धित कर्मचारी ने दे दी थी तो मूल मेरे न्यायालय की पत्रावली में होने का प्रश्न ही नहीं थी । इसके अतिरिक्त जब श्रीमान जी द्वारा दिनांक 01. 11. 2021 को पत्रावली तलब कर स्वयं पत्रावली का विधिवत अवलोकन कर लिया लेकिन उस समय कागज सं० 60B पत्रावली पर था ही नहीं , यदि होता तो श्रीमान जी के स्वयं संज्ञान में भी आता, इससे ज्ञात होता है कि दिनांक 01. 11. 2021 को कागज सं० 60B पत्रावली पर था ही नहीं । उक्त पत्रावली में कागज सं० 60B प्राप्त कर्ता ने जब छायाप्रति देकर मूल रूप से दिनांक 01. 11. 2021 को प्राप्त कर लिया तो पुनः उक्त कागज पत्रावली पर किस लापरवाही से दाखिल हुआ, यह जाँच का विषय है ।

श्रीमान जी ने स्वयं दिनांक 01. 11. 2021 को उक्त पत्रावली तलब की व उसका विधिवत अवलोकन किया उसके पश्चात श्रीमान जी का यह टिप्पणी करना कि " This also indicates that you are either careless or with deliberate intention ready to act upon mistakes of staff in hurry rather than taking a corrective action immediately and helping in smooth administrative of the judgeship. " मेरे लिए स्वयं आश्चर्य का विषय है कि जब श्रीमान जी ने स्वयं उक्त पत्रावली का भली- भाँति अवलोकन किया तब उक्त कागज सं० 60B पत्रावली पर संलग्न नहीं था, यदि होता तो श्रीमान जी नोटिस दिनांकित 17. 11. 2021 कदापि जारी नहीं करती । श्रीमान जी के उक्त अर्द्ध शासकीय पत्रांक

व उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि श्रीमान जी मेरे प्रति सदभाविक दृष्टिकोण नहीं रखती हैं।
आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय


10.12.2021
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 10. 12. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नक:

सम्बन्धित कर्मचारी की आख्या की मूल प्रति।।

नोट: कार्यालय की डाक वही में दिनांक 10. 12. 2021 को चढ़वाकर भिजवाया गया।

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश / (F. T. C. - 2)
झांसी ।

विषय:- सत्र परीक्षण सं०- 11/ 2017 राज्य बनाम डालचन्द्र आदि में कागज सं०- 59B एवं कागज सं०- 60B
के संबंध में ।

महोदय,


विनम्र निवेदन है कि S. T. No. 11/ 2017 राज्य बनाम डालचन्द्र आदि धारा 307IPC थाना नवाबाद मु०अ०सं०- 70/ 15 झांसी की पत्रावली न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 01. 11. 2021 नियत थी । पत्रावली में आदेश पत्र लिखे जाने के उपरान्त मा० जिला जज महोदया के आदेश दिनांक 01. 11. 2021 के अनुपालन में उक्त पत्रावली के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था, उक्त पत्र को सूचीबद्ध कर 59B दर्ज कर मा० पीठासीन महोदय के समक्ष मय पत्रावली रख दिये व मूल प्रपत्र वापिस कर दिये । पत्रावली में आदेश उपरान्त पत्रावली मा० जिला जज महोदया के एस०ए०ओ० कार्यालय में प्राप्त करा दिया गया ।

पत्रावली दिनांक 02. 11. 2021 को लगभग 4:45 बजे पर प्राप्त हुई । पत्रावली प्राप्त करते समय ही कागज सं०- 59B का मूल प्रपत्र पत्रावली पर मौजूद था । इस मूल प्रपत्र पर 60B अंकित है । सूचीबद्ध होकर पत्रावली पर उपलब्ध है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

प्रार्थी

दिनांक- 06. 12. 21


(बाल्मीकि साहू)
लिपिक/ रीडर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.)
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) झांसी

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi

Chamber,
D.O. No. 9/24.11.2021/E.A.
Dated: November 24, 2021

**Subject: regarding submission of report/comments on complaint
from the Members of Zila Adhivakta Sangh, Jhansi.**

Sri Arya,

The Hon'ble Court is pleased to pass an order directing the undersigned to submit my comments on a complaint dated 26.10.2021 moved by certain Members of the Bar of District Jhansi imputing certain allegations against you. Copy of the above complaint is annexed herewith. You may submit your report/comments within 3 days positively.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

24.11.21

Sri Vimal Prakash Arya,
Addl. District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।

झाँसी ।


विषय:-

अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 09/ 24. 11. 2021/ E. A. के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्रांक के साथ कोई भी संलग्नक संलग्न नहीं है ।
सूचना सादर प्रेषित ।

भवदीय


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 24. 11. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोट: कार्यालय की डाक वही में दिनांक 24. 11. 2021 को चढ़वाकर भिजवायी गयी ।

(3)

**Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi**

**Chamber,
D.O. No. 19 /C.A.O.
Dated: October 27, 2021**

Dear Mr. Arya,


Kindly take the reference of administrative order dated 06.10.2021, passed by me on your report addressed to the undersigned dated 06.10.2021 for institution of inquiry against the staff deputed in your court. On your report, you were directed to call the explanations from the employee/employees concerned and then to forward the same along with your comments. However, I am still to receive the explanations as well as your comments with regard to above.

In the related matter, by my administrative order dated 08.10.2021, passed on application of Asstt. Clerk Kumari Khushnuma dated 08.10.2021 and communicated to you the same day, you were directed to send a detailed report. However, that too is still awaited.

This D.O. is being sent as a reminder and to afford you one more opportunity to furnish the reports.

Hence, you are requested to send the reports on the above matters. within three days.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)
27.10.21

**Sri Vimal Prakash Arya,
Addl. District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.**

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:-

अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 19/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 के संबंध में ।

संदर्भ

(1) मेरे द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रेषित पत्र पर आपके द्वारा पारित आदेश दिनांक-
06. 10. 2021 ।

संदर्भ

(2) खुशनुमा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक- 08. 10. 2021 पर आपके द्वारा पारित आदेश
दिनांकित- 08. 10. 2021 ।

संदर्भ

(3) संदर्भ सं० 54/ DJ दिनांक - 17 मार्च, 2021 ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रातःकाल में मेरे न्यायालय में आने पर श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार द्वारा दिनांक 06. 10. 2021 से दिनांक 15. 10. 2021 तक अर्जित अवकाश व कु० खुशनुमा द्वारा दिनांक 06. 10. 2021 का आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र उपस्थिति पंजिका पर पाये जाने पर मेरे द्वारा श्रीमान जी को अविलम्ब सूचना प्रेषित की गयी ।

दिनांक- 06. 10. 2021 को खुशनुमा द्वारा जो आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, मेरे द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया और उक्त कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेशित किया गया था और मेरे आदेश पर मेरे न्यायालय की कर्मचारी श्रीमती संगीता पटेल द्वारा कु० खुशनुमा को प्रातः 10. 30 बजे उनके मो० नं०- 6397199265 पर सूचना दी गयी और कु० खुशनुमा ने यह कहकर आने से इंकार कर दिया कि उसकी तबियत बहुत खराब है ।

अपने उक्त तिथि के पत्र के साथ ही उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को मैंने मूल रूप से संलग्न कर श्रीमान जी को प्रेषित कर दिया था । यह पत्र प्रातःकाल में ही प्रेषित किया गया था, जिसे समय लगभग 2. 20 PM तक प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कार्यालय के किसी भी कर्मचारी ने मेरे उक्त पत्र को प्राप्त नहीं किया ।

तत्पश्चात् लंच उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को पुनः द्वितीय पत्र श्रीमान जी को प्रेषित किया गया, जिसमें मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि मेरे द्वारा प्रातःकाल में जो सूचना/ पत्र श्रीमान जी को प्रेषित किया गया था जिसे प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है और मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु किसी पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति नहीं हो सकी । मेरे द्वारा पत्र में यह भी अवगत

कराया गया कि सत्र परीक्षण सं०- 312/ 11 में गवाह जियालाल प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 15/ 19 में गवाह श्रीमती संगीता व सुनील कुमार प्रातः 11. 30 बजे से, सत्र परीक्षण सं०- 415/ 12 में साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० उदयभान सिंह प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 310/ 15 में साक्षी बिहारी लाल व डॉ० एस० अग्रवाल प्रातः 11. 45 से उपस्थित हैं, किन्तु न्यायालय में पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति के बावत कोई भी आदेश न होने के कारण न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो सका है और न्यायालय का कार्य अति गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और पुनः मेरे द्वारा पेशकार/ लिपिक को नियुक्त किये जाने के बावत पत्र प्रेषित किया गया।

यहाँ यह भी उल्लेख करना अति आवश्यक है कि यदि दिनांक 06. 10. 2021 को प्रेषित पत्र को प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रातःकाल में ही प्राप्त कर लिया होता तो मुझे अपरान्ह काल में द्वितीय पत्र को प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रशासनिक अधिकारी ने, जब मेरे द्वारा द्वितीय पत्र प्रेषित किया गया तब प्रातःकालीन पत्र पर तिथि 06. 10. 2021 व समय 12:30 अंकित कर प्राप्त किया। प्रशासनिक अधिकारी का उक्त कृत्य यह दर्शाता है कि उन्होंने या तो स्वयं या किसी के निर्देश/ आदेश पर ही मेरा पत्र प्राप्त नहीं किया जो कि स्वयं एक जाँच का विषय है कि एक अधिकारी के पत्र को यदि प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त नहीं करेगा तो कौन प्राप्त करेगा। मेरा इस सम्बन्ध में भी निवेदन है कि मेरे उक्त पत्र को समय से प्राप्त न करने के बावत दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच कर कार्यवाही की जाय साथ ही प्रातःकाल में प्रेषित पत्र को लंच के उपरान्त प्राप्त करने व उस पर गलत तरीके से समय 12:30 अंकित करने के बावत भी जाँच कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

यह पत्र (लंच उपरान्त प्रेषित द्वितीय पत्र) प्राप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रातःकाल में प्रेषित पत्र पर तिथि 06. 10. 2021 अंकित करते हुए समय 12. 30 अंकित किया गया। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि यदि मेरे प्रातःकाल में प्रेषित पत्र/ सूचना को यदि प्रशासनिक अधिकारी 12. 30 बजे प्राप्त कर लेते तो मुझे अपरान्ह काल में पत्र प्रेषित करते समय यह अंकित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती कि प्रातःकाल में प्रेषित पत्र को प्रशासनिक अधिकारी ने प्राप्त नहीं किया।

मेरे द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 03. 11. 2021 के बावत श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 09. 11. 2021 में जो कथन किया है उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि " मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने के उद्देश्य से कोई भी अवकाश नहीं लिया गया है। दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रार्थी की तबियत खराब होने के कारण प्रार्थी द्वारा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र मय न्यायालय की चाबी के न्यायालय अधिष्ठान में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी श्री नीरज जो मेरे घर के पास रहते हैं, के द्वारा कार्यालय भिजवा दिया गया था, उसके द्वारा बताया गया कि उसने चाबी और प्रार्थनापत्र कु० खुशनुमा को दे दिया था। तबियत ठीक न होने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 से 15. 10. 2021 तक स्वयं के इलाज के बावत अर्जित अवकाश हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा कोई न्यायिक कार्य में व्यवधान के उद्देश्य से अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि मजबूरी में प्रेषित किया गया। न्यायिक कार्य में व्यवधान नहीं हो इसलिए प्रार्थी द्वारा पहले केवल एक दिन का ही आकस्मिक अवकाश प्रेषित किया गया था और चाबी भी इसी उद्देश्य से भेजी गयी थी कि उसके या चाबी के कारण कोई न्यायिक कार्य बाधित न हो। "

सत्र परीक्षण सं०-
15/12 में साहू
श्री लाल व
कोई

चूँकि न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक श्री बाल्मीकि साहू दिनांक- 04. 10. 2021 से 13. 10. 2021 तक अर्जित अवकाश पर थे। इस तथ्य की जानकारी श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय पेशकार व खुशनुमा सहायक लिपिक को पूर्ण रूप से है। इसके बावजूद उक्त दोनों कर्मचारीगण द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने से आशय से अपना- अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।

श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय को प्रेषित नोटिस दिनांकित- 03. 11. 2021 में मैंने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदेशित किया था कि आप यह भी बताये कि न्यायालय कक्ष की चाबी कार्यालय कक्ष में क्यों मौजूद पायी गयी और आपने न्यायालय की यह चाबी कार्यालय में रखी या कु० खुशनुमा के जाने के बाद। यह भी स्पष्ट करें और उक्त कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह कथन किया है कि उसने न्यायालय की चाबी व अपना अवकाश का प्रार्थनापत्र न्यायालय के एक कर्मचारी नीरज के माध्यम से कार्यालय में भिजवा दिया था और उसने यह चाबी और प्रार्थनापत्र कु० खुशनुमा को दे दिया था।

मेरे द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 03. 11. 2021 के बावत खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 09. 11. 2021 में जो कथन किया है उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि " प्रार्थिया दिनांक 05. 10. 2021 को सांयकाल में कार्य उपरान्त कार्यालय से घर जाते समय एक बाइक सवार ने प्रार्थिया के आटो रिक्शा से उतरते समय पैर पर बाइक चढ़ा दी जिससे उसके पैर पर चोट लग गयी और उसका पैर सूज गया। प्रार्थिया का पैर सुबह और ज्यादा सूज गया था। प्रार्थिया को चलने में अत्यन्त समस्या हो रही थी। इस कारण प्रार्थिया कार्यालय आने में असमर्थ थी। अतः प्रार्थिया ने अपना आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र रोहिणी राजा (चतुर्थ कर्मचारी) के माध्यम से न्यायालय में भिजवा दिया। न्यायालय द्वारा सूचना प्रार्थिया के पास पहुँची थी परन्तु प्रार्थियाके पैर पर काफी सूजन और दर्द था, प्रार्थिया ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। प्रार्थिया रायगंज कालोनी में रहती है जो न्यायालय से 3- 4 किमी० दूर है। प्रार्थिया ज्यादा चलने में असमर्थ थी। इस कारण प्रार्थिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। आगे यह भी कथन किया है कि न्यायालय की दो चाबियाँ हैं, एक मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार के पास थी और दूसरी चाबी पेशकार ने कार्यालय में कार्यालय में कब रखी, उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

प्रार्थिया ने सर्वप्रथम पेशकार श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय को कॉल किया, परन्तु उन्होंने कॉल नहीं उठाया। प्रार्थिया ने कार्यालय कक्ष की चाबी सुबह में मोहित शर्मा(चतुर्थ कर्मचारी) को दी थी, सांयकाल में नहीं दी थी।

खुशनुमा ने अपने पत्र दिनांकित- 08. 10. 2021 जो श्रीमान जी को प्रेषित किया गया था और जिसे मुझसे अग्रसारित नहीं कराया गया था, में खुशनुमा ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "प्रार्थिया का दिनांक- 05. 10. 2021 को शाम को कार्यालय से घर जाते समय प्रार्थिया के ऑटोरिक्शा से उतरते समय बाइक सवार ने उसके पैर पर बाइक का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उसका पैर सूज गया और रात को भी तेज बुखार हो गया। जिस कारण प्रार्थिया कार्यालय आने में असमर्थ थी। अतः प्रार्थिया ने दिनांक- 06. 10. 2021 को अपनी सी०एल० कार्यालय भिजवा दी थी, जिसे श्रीमान पीठासीन अधिकारी ने निरस्त कर दिया।" खुशनुमा के उक्त पत्र से ज्ञात होता है कि खुशनुमा दिनांक- 06. 10. 2021 को न्यायालय आयी ही नहीं थी और इस प्रकार श्री मनोज कुमार साहू

द्वितीय का यह कहना कि उन्होंने अवकाश का प्रार्थनापत्र व कार्यालय की चाबी न्यायालय के कर्मचारी नीरज जो उनके घर के पास रहता है, के माध्यम से कार्यालय भिजवा दी, जिसने चाबी और प्रार्थनापत्र खुशनुमा को दे दिया। श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय के स्पष्टीकरण दिनांकित- 09. 11. 2021 से स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार की आख्या पूर्णतः गलत व भ्रामक है, जो न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारी ने न्यायिक कार्य में जानबूझकर व्यवधान कारित करने के उद्देश्य से ही दिनांक- 06. 10. 2021 को अपना अवकाश का प्रार्थनापत्र उपस्थिति पंजिका में पूर्व से संलग्न कर दिया था और न्यायालय की चाबी भी कार्यालय में अनाधिकृत रूप से रख दी थी और उक्त कर्मचारी ने अपना अवकाश का प्रार्थनापत्र व न्यायालय की चाबी किसी नीरज नाम के व्यक्ति से नहीं भिजवायी थी। यदि नीरज नामक व्यक्ति अवकाश का प्रार्थनापत्र व न्यायालय की चाबी न्यायालय में लेकर आता तो मेरे न्यायालय के आशुलिपिक श्री मोहित कुमार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा व श्रीमती संगीता पटेल के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी मौजूद ही नहीं था और न ही खुशनुमा मौजूद थी।

खुशनुमा के पत्र दिनांकित- 08. 10. 2021 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 08. 10. 2021 के बावत अवगत कराना है कि दिनांक- 06. 10. 2021 को उक्त कर्मचारी द्वारा जानबूझकर न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था और इसी उद्देश्य से उक्त कर्मचारी ने पूर्व सुनियोजित तरीके से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक- 05. 10. 2021 के कार्यालय की चाबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा को दे दी थी। यदि उक्त कर्मचारी का दिनांक- 06. 10. 2021 को कार्यालय आने का आशय होता तो उक्त कर्मचारी कार्यालय की चाबी एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक- 05. 10. 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं देती और यदि विशेष कारणों से उसे चाबी देनी ही थी तो वह पेशकार को सुपुर्द करके ही जाती। उक्त कर्मचारी ने श्री मोहित शर्मा को अनाधिकृत रूप से चाबी सुपुर्द की जो चाबी लेने के लिए अधिकृत नहीं था। उक्त कर्मचारी ने दिनांक- 07. 10. 2021 को मेरे समक्ष अवकाश प्रदान करने का कोई भी नवीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही दिनांक- 08. 10. 2021 को श्रीमान जी को प्रेषित पत्र मेरे द्वारा अग्रसारित कराया और मेरे द्वारा उक्त कर्मचारी का पत्र प्रस्तुत न होने के कारण मेरे द्वारा अग्रसारित नहीं हुआ। उक्त कर्मचारी का प्रार्थनापत्र में यह कथन कि उसने श्रीमान महोदया के समक्ष उपस्थित हुयी और अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और श्रीमान जी के आदेशानुसार कि अपने पीठासीन अधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर कार्य करने की अनुमति मांग लूँ। जब उसने अपने पीठासीन अधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर कार्य करने की अनुमति मांगी जिसे पीठासीन अधिकारी ने लेने से मना कर दिया तब उसने अपना प्रार्थनापत्र प्रशासनिक कार्यालय के द्वारा माननीय महोदया के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने अपने पीठासीन अधिकारी से हस्ताक्षर करने व कार्य करने की अनुमति व दिनांक- 06. 10. 2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की प्रार्थना की और पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कर्मचारी ने दिनांक- 07. 10. 2021 या 08. 10. 2021 को मेरे समक्ष कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। उक्त कर्मचारी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक- 08. 10. 2021 में यह निवेदन किया कि उसका दिनांक- 06. 10. 2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करें व दिनांक 07. 10. 2021 से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इससे ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारी ने श्रीमान जी के समक्ष दिनांक- 07. 10. 2021

को कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। उक्त कर्मचारी के दिनांक- 07. 10. 2021 को उपस्थित आने और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के पश्चात गैर हाजिर रहने और सांय 16. 10 बजे तक निरंतर गैर हाजिर होने के बावत मेरे द्वारा श्रीमान जी को दिनांक- 07. 10. 2021 को ही अवगत कराया जा चुका है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारी ने दिनांक- 07. 10. 2021 को केवल उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये और कोई भी कार्य नहीं किया और न ही उक्त कर्मचारी दिनांक- 07. 10. 2021 को उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त से समय 16. 10 बजे तक गैर हाजिर रही।

चूँकि दिनांक- 06. 10. 2021 को उक्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अवकाश के प्रार्थनापत्र को मेरे द्वारा निरस्त कर दिया गया था और दिनांक- 06. 10. 2021 या 07. 10. 2021 को उक्त कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश का कोई भी नवीन प्रार्थनापत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ और न ही मेरे द्वारा उक्त कर्मचारी ने अपने अवकाश का प्रार्थनापत्र अग्रसारित कराया। उक्त कर्मचारी ने श्रीमान जी को दिनांक- 08. 10. 2021 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त कर्मचारी का दिनांक 06. 10. 2021 को प्रस्तुत आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र मेरे द्वारा निरस्त कर मूल प्रार्थनापत्र श्रीमान जी के समक्ष अपने पत्र के साथ प्रेषित कर दिया था और श्रीमान जी द्वारा उस अवकाश के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के बावत मुझे कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ था यदि उक्त अवकाश का प्रार्थनापत्र श्रीमान जी द्वारा स्वीकार कर सूचना मेरे न्यायालय में प्राप्त हो जाती तो निश्चित रूप से उक्त कर्मचारी दिनांक 07. 10. 2021 को उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर कार्य करने हेतु स्वतन्त्र थी। उक्त कर्मचारी ने न तो दिनांक 07. 10. 2021 और न ही दिनांक 08. 10. 2021 को मेरे समक्ष ऐसा कोई नवीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि उसे दिनांक 06. 10. 2021 का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए और न ही ऐसा कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो श्रीमान जी को सम्बोधित हो और मेरे द्वारा अग्रसारित कराने के लिए दिया गया हो या उचित माध्यम से दिया गया हो।

यह जाँच का विषय है कि श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार ने अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 09. 11. 2021 में यह कहा है कि उसने अपना आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र मय न्यायालय की चाबी के न्यायालय अधिष्ठान में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी श्री नीरज जो उसके घर के पास रहते हैं, के द्वारा कार्यालय भिजवा दिया गया था, और नीरज के द्वारा उन्हें बताया गया कि उसने चाबी और प्रार्थनापत्र कु० खुशनुमा को दे दिया था। खुशनुमा का अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 09. 11. 2021 में यह कथन है कि वह दिनांक 06. 10. 2021 को न्यायालय आयी ही नहीं। न्यायालय की दो चाबियाँ हैं, एक मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार के पास थी और दूसरी चाबी पेशकार ने कार्यालय में कार्यालय में कब रखी, उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह भी जाँच का विषय है कि उक्त दोनों कर्मचारियों ने अपने- अपने प्रार्थनापत्र न्यायालय में आखिर किसको भिजवाये थे। यह भी अवगत कराना है कि श्री मनोज कुमार साहू ने कुछ दिन पूर्व ही अवकाश ग्रहण किया था और यदि वह कार्य करने हेतु स्वस्थ नहीं हुए थे तो उन्होंने अपना अवकाश बढ़वाने का प्रार्थनापत्र क्यों नहीं भिजवाया। वह आखिर ऐसी कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं कि वह कार्य करने हेतु नहीं आ सकते, यह भी एक जाँच का विषय है। यदि मनोज कुमार साहू किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं कि वह न्यायालय में कार्य करने हेतु नहीं आ सकते तो उन्हें इस बावत उस




बीमारी का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए और इस बावत मेडीकल बोर्ड से जाँच कराया जाना अति आवश्यक है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन्होंने अब तक कौन सा उपचार और कहाँ से उपचार प्राप्त किया और यदि ऐसा कोई उपचार उक्त कर्मचारी नहीं ले रहा है तो निश्चित रूप से उक्त कर्मचारी न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अवकाश ग्रहण कर रहा है। मैंने उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 20. 10. 2021 से 29. 10. 2021 को प्रस्तुत अजिर्त अवकाश के प्रार्थनापत्र के बावत संदर्भ सं० 54/DJ दिनांक - 17 मार्च, 2021 के प्रकाश के अपनी आख्या सहित प्रार्थनापत्र अग्रसारित किया गया है।

मैं, श्रीमान जी के संदर्भ सं० 54/DJ दिनांक - 17 मार्च, 2021 की और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें श्रीमान जी द्वारा अवकाश का प्रार्थनापत्र अग्रसारित किये जाने के बावत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। मैंने दिनांक 06. 10. 2021 को न्यायिक कार्य प्रभावित होने पर नियमानुसार श्रीमान जी को अविलम्ब सूचना प्रेषित की और दिनांक 20. 10. 2021 को श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बावत भी मेरे द्वारा श्रीमान जी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। मेरे न्यायालय का कार्य उक्त दोनों कर्मचारियों की मिली भगत से प्रभावित हुआ, इस बावत श्रीमान जी को मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

श्री मनोज कुमार साहू ने न्यायालय की चाबी और अपना अवकाश का प्रार्थनापत्र नीरज के द्वारा खुशनुमा को दिनांक 06. 10. 2021 को भिजवाना बताया जबकि खुशनुमा के अनुसार वह दिनांक 06. 10. 2021 को न्यायालय आयी ही नहीं थी उसने कार्यालय की चाबी दिनांक 06. 10. 2021 को न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने आवास पर दी थी जबकि मैंने अपने प्रार्थनापत्र दिनांकित 06. 10. 2021 में स्पष्ट रूप से बताया था कि मेरे न्यायालय के कर्मचारी ने दिनांक 05. 10. 2021 को खुशनुमा द्वारा चाबी उसे देना बताया था।

आख्या सादर ससम्मान प्रेषित।

भवदीय



12.11.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 12. 11. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नक:

उपरोक्तानुसार मूल कुल सात(07)।

नोट:- दिनांक- 12. 11. 2021 को कार्यालय की डाक वही में चढ़ाकर भिजवाया गया।

(A)

**Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi**

**Chamber,
D.O. No. 20/C.A.O.
Dated: October 27, 2021**

Dear Mr. Arya,

The complainant Sri Sanjay Yadav S/o Sri Azad Singh, who happens to be first informant as regard to Crime No. 507/2020 under sections 302,307,504, 506 I.P.C. F.S. Premnagar, District Jhansi, against Rajendra Singh Yadav alias Raju Jahreela, sent a complaint addressed to Hon'ble the Chief Justice of Allahabad High Court with a copy addressed to Hon'ble the Administrative Judge, Judgeship Jhansi and also to the undersigned stating therein that after concluding the hearing of bail application no. 1138/2021 under sections 302,307,504, 506 I.P.C. P.S. Premnagar, Jhansi, of the accused on 14.06.2021 you instead of passing order fixed date for hearing again on 22.06.2021. The papers on record suggest that during the relevant period in view of the lock down imposed due to Covid-19 conditions and in compliance of the orders of the Hon'ble High Court duty of the judicial officers for hearing the urgent matters was fixed in rotation. It is more than clear that you deliberately fixed the next date of hearing/rehearing this particular bail application on 22.06.2021 i.e. the date on which you had to sit again to hear the urgent matters.

In your explanation, you have submitted that arguments could not be concluded by both the sides, therefore, you fixed another date after a gap of further eight days. This fact is clearly denied by the complainant that arguments remained unconcluded. The order sheet dated 14.06.2021 shows that there has not been moved any adjournment application by the either side.

It is quite unusual on the part of a judicial officer to keep the bail application pending before himself as part heard. If this is your routine practice to keep the bail application as part heard, kindly furnish details of other bail applications, which have been kept by you as part heard and were fixed for remaining arguments.

The complainant has imputed allegations of corrupt practice on your part in his complaint dated 15.06.2021, which is not only signed by the complainant but also is supported by an affidavit.

Hence, you are directed to submit your explanation as well as details as above within three days, failing which the matter shall be placed before the Hon'ble Administrative Judge, District Jhansi for necessary action.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

27/10/21

**Sri Vimal Prakash Arya,
Addl. District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.**

ज्योत्सना शर्मा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अर्द्धशासक पत्र सं० - २८/२०२१

विश्राम कक्ष,

जिला न्यायाधीश, झांसी।

दिनांक :- ०९/१२/२०२१

श्री आर्या,

श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, अधिवक्ता द्वारा की गई शिकायत दिनांकित ०२.१२.२०२१ पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित ०३.१२.२०२१ के माध्यम से दो दिन के अन्दर आपकी टिप्पणी चाही गई थी, जो आपके कार्यालय में दिनांक ०३.१२.२०२१ को प्राप्त करा दी गई है, परन्तु आज दिनांक ०९.१२.२०२१ की प्रातः तक आपके द्वारा उक्त संदर्भ में कोई टिप्पणी/सूचना प्रेषित नहीं की गई है। यह उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भ में अपनी टिप्पणी कल दिनांक १०.१२.२०२१ तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ज्योत्सना शर्मा)

९-१२-२१

श्री विमल प्रकाश आर्य

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,

एफ०टी०सी०

(१४वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),

झांसी।

ज्योत्सना शर्मा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

(7) (13)

अर्द्धशास0 पत्र सं0-01/0.7.2022

विश्राम कक्ष,


जिला न्यायाधीश, झांसी।

दिनांक :- 01.01.2022

श्री शर्मा,

अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक जांच सं0-2/2021 की पत्रावली मय जांच आख्या दिनांकित 30.10.2021 एक सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक कार्यालय प्राप्त कराई गई, जिसे दिनांक 24.12.2021 को मेरे प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत लिपिक द्वारा मेरे समक्ष खोला गया तो पाया कि उक्त पत्रावली में आपके द्वारा जो आख्या दिनांकित 30.10.2021 प्रेषित की गई है, उसपर आपके हस्ताक्षर नहीं है।

अतः उक्त मूल जांच आपको प्रतिप्रेषित की जाती है। आप हस्ताक्षरित जांच आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।


(ज्योत्सना शर्मा)

श्री विमल प्रकाश आर्य

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,

एफ0टी0सी0

(14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),

झांसी।


**Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi**

**Chamber,
D.O. No. 04/D.J./2022
Dated: January 27, 2022**

Dear Arya,

Received your request letter dated 07.01.2022 by which you intimated that you can not manage the affairs of your court without deputing an independent steno/typist and that you are facing difficulty in sharing of services of Sri Dhananjai Kumar Pal, the steno/typist deputed in the court of Sri Lalbahadur Gond, JSCC Jhansi. You are already aware of the fact that there is serious dearth of Class III staff especially the steno/typist in this judgeship and therefore a number of courts are managing their work by sharing the services of steno/typists. You are expected to cooperate with your brother officer in sharing the services of steno/typist presented deputed in the court of JSCC Sri Lalbahadur Gond. Sri Gond has already been advised by me on the same lines. You are expected to mend your ways and behave as responsible and disciplined judicial officer.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

**Sri Vimal Prakash Arya,
ADJ/FTC (14th F.C),
Jhansi.**

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi


Chamber,
D.O. No. 09/D.J./2022
Dated: February 15, 2022

Dear Arya,

In the light of certain facts as given in an application dated 14.02.2022 moved by Sri Santosh Kumar Doharey, ADGC (Crl.) deputed in your court, you are requested and advised as well, not to pronounce any judgment in following cases, till further order.

1. S.T. No. 153/2018, State Vs. Sunil Raikwar, U/s. 41, 411, 414 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 16.02.2022)
2. S.T. No. 134/2014, State Vs. Udai Singh, U/s. 60 Excise Act & 272 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 18.02.2022)

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

Sri Vimal Prakash Arya,
ADJ/FTC (14th F.C),
Jhansi.

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 10/DJ/2022
Dated: February 22, 2022

Dear Shri Arya,

* Kindly take reference of my earlier **D.O. No. 09/D.J./2022 dated February 15th, 2022** by which you were requested and advised not to pronounce judgment in two cases i.e. (i) S.T. No. 153/2018, State Vs. Sunil Raikwar, U/s. 41, 411, 414 IPC, P.S. Prem Nagar and (ii) S.T. No. 134/2014, State Vs. Udai Singh, U/s. 60 Excise Act & 272 IPC, P.S. Prem Nagar.

* In continuation thereof, I am sending copy of the complaint, by Shri Santosh Kumar Doharey, the then A.D.G.C. (Crl.) deputed in your court, given to the undersigned, addressing the administrative side of the authority of the District Judge. Shri Doharey has given this complaint dated 14.02.2022 containing a list of 8 cases, which according to him are important Session Trials at a very mature stage and which, according to him should be transferred from your court to some other court for administrative reasons in the background of allegations imputed by him against you.


* You are, therefore, requested to furnish following particulars concerning cases depicted from Serial No. 1 to 8 in the complaint concerned.

1. The name of the defence counsel who is/are presently representing the accused persons in all the above cases.
2. The name of the private counsel engaged by the prosecution or the victim or the complainant, if any.
3. The present status of the proceedings.
4. The next date fixed disclosing the purpose for which it has been fixed.
5. The fact whether any order requiring the accused person to execute bail bonds with sureties for appearance before the higher court as per provisions of Section 437-A Cr.P.C. has been passed? If yes the date of the order and the date of acceptance bail bonds furnished in compliance of the order.

You are requested to furnish to the undersigned all the above details/particulars, **preferably in a tabular form**, regarding all the Session Trials from Serial No. 1 to 8 as given in the annexed complaint to the undersigned latest by tomorrow i.e. **23.02.2022. You are expected not to seek further time.**

**Enclosure:- Copy of complaint
dated 14.02.2022**

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

**Shri Vimal Prakash Arya,
A.D.J./F.T.C. (14th F.C.)
Jhansi.**


Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 12/D.J./2022
Dated: February 24, 2022

Dear Shri Arya,

1. Received an '**open**' covering letter from you at 05.15 PM on 23.02.2022, in response to my D.O. letter No. 10/D.J. dated 22.02.2022.
2. Alongwith your reply a list (in tabular form) bearing signature of clerk deputed in your court has been annexed.
3. Ordinarily such kind of correspondence between the District Judge and the other officers of the Judgeship is of confidential nature. I believe that you are well aware of confidentiality of such correspondence done through D.Os. given the fact that you belong to a senior cadre of officers.
4. Through my D.O. No. 10/D.J./22.02.2022, I requested you to furnish certain information, for administrative reasons well known to you. However, it appears that you instead of collecting information yourself and then sending it to me under your own signature, chose to direct your subordinate class-III employee and send the requisite information under the signature of concerned staff! Thereby you broke all the norms of judicial discipline.
5. It may also be noted that you, for some reasons better known to yourself, withheld certain important information which I had called for under point number 4 and 5 of the D.O. letter in question.
6. You are directed and expected to send complete information in response to my D.O. letter referred to above, complete in all respects on the subject **under your own signature, in a sealed cover as per established practice.**
7. Reply by tomorrow i.e. 25.02.2022.

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

24.2.22

Shri Vimal Prakash Arya,
A.D.J./F.T.C. (14th F.C.)
Jhansi.

Dear Shri Arya,

- Shri Santosh Kumar Dohrey, the then A.D.G.C.(Crl.) deputed in your court has given a list of 60 cases from Serial No. 1 to 60 as shown in the copy of the complaint dated 11.02.2022 annexed herewith.
- The A.D.G.C. (Crl.), addressing to the administrative side of the authority of the District Judge, has requested for transfer of all the 60 cases which, according to him should be transferred from your court to some other court for administrative reasons in the background of allegations imputed by him against you.
- You are, therefore, requested to furnish following particulars concerning cases depicted from Serial No. 1 to 60 in the complaint concerned.
 1. The name of the defence counsel who is/are presently representing the accused persons in all the above cases.
 2. The name of the private counsel engaged by the prosecution or the victim or the complainant, if any.
 3. The present status of the proceedings.
 4. The next date fixed disclosing the purpose for which it has been fixed.
 5. The fact whether any order requiring the accused persons to execute bail bonds with sureties for appearance before the higher court as per provisions of Section 437-A Cr.P.C. has been passed? If yes, the date of the order and the date of acceptance bail bonds furnished in compliance of the order.


You are requested to furnish to the undersigned all the above details/particulars, **preferably in a tabular form**, regarding all the Session Trials from Serial No. 1 to 60 as given in the annexed complaint to the undersigned.

Provided that in case any of the above cases listed from Serial No. 1 to 60 has been **fixed for judgment, a separate list** depicting their present status alongwith other details as called for in the directions contained above, may be sent to the undersigned by tomorrow i.e. 23.02.2022. However, the other cases in the list which have not been already **fixed for judgment, a separate list** with all the particulars may be furnished to the undersigned by 28.02.2022.

You are expected to abide by the time frame fixed by me.

Enclosure:- Copy of complaint
dated 11.02.2022

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)


ज्योत्सना शर्मा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अर्द्धशास० पत्र सं० 10 /2021
विश्राम कक्ष,
जिला न्यायाधीश, झांसी।
दिनांक:- 22/07/21

श्री आर्या,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टिया प्रेषित की जानी है जिसके संबंध में आपके द्वारा स्वतः निर्धारण प्रपत्र पोर्टल पर लगी आपत्ति का निस्तारण आज दिनांक 22.07.2021 तक नहीं किया गया।

अतः उक्त के अनुक्रम में आपसे आपेक्षा की जाती है कि आप पोर्टल पर लगी आपत्ति का अतिशीघ्रता से निस्तारण करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।


(ज्योत्सना शर्मा)

श्री विमल प्रकाश आर्या
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ०टी०सी०
(14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),
झांसी।

From

Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.) .

To

The Respected District Judge
Jhansi.

Sub

:Compliance of D. O. No. 10/ 2021 Dated- 22. 07. 2021.


Madam

With due respect I have to say that in compliance of above D. O. the objection raised on self assessment which came into my knowledge on dated 22nd 07. 2021. I have complied the order of above D. O.

Therefore you are kindly informed that the compliance of above D. O. have been done by me.

Thanks.

Your' s Sincerely



23.07.2021

(Vimal Prakash Arya)

Additional District & Session Judge

(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.) .

Dated- 23. 07. 2021


23.07.21
AD

13/2